महत्वपूर्ण एवं खास

पांच लाख रूपये की लॉटरी लगने का झांसा देकर धोखाधड़ी

न्याय साक्षी/रायगढ़। आवेदिका श्रीमती अनिता देवांगन पति सत्यनारायण देवांगन उम्र 34 वर्ष निवासी कोतरारोड बावली कुआ रायगढ दिनांक 06/11/2019 को थाना कोतवाली में आवेदन देकर धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 10.10.19 के सुबह 08:36 इसके मोबाईल पर मैसेज आया कि आपने पलसर मोटर सायकल व 5 लाख नगद जीता हैं, जिसे पाने के लिये टैक्स के तौर पर 26,200 रू दो किस्तों में जमा करना होगा। लालच में आकर अनिता देवांगन ने अरविंद कुमार नाम के व्यक्ति के बैंक आफ बड़ौदा के खाते में दो किस्तो मे 26200 रू जमा करा दी। उसके बाद उसके मोबाईल में फिर काल आया कि आपको 49,500 रू. और जमा करना पड़ेगा। तब इसे ठगे जाने का एहसास हुआ और इसके द्वारा आवेदन थाना कोतवाली में दिया गया। आवेदन पत्र पर खाता धारक अरविंद कुमार के विरूद्ध अप.क्र. 967/19 धारा 420 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

सूने मकान का ताला तोड़कर जेवरात व गकदी ले उड़े चोर

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस चौकी जुटमिल अन्तर्गत कालिंदी हाइट्स रायगढ में रहने वाले ट्रांसपोर्ट अरविन्द तिवारी दिनांक 26.10.2019 को दीपावली की छुट्टी में अपने घर झारसुगड़ा गया था। दिनांक 3.11.2019 को वापस आया तो घर का दरवाजा खुला मिला। अन्दर जाकर देखा तो आलमारी के लाकर को तोड़कर उसमे रखे 7000/-रूपये, चांदी का पायल, सिक्का, कडा, चाबी छल्ला, सोने का मंगलसुत्र, सोने का वाली, मोबाईल कीमत लगभग 50,000/- रूपये को कोई अज्ञात चोरी कर ले गया था। चोरी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली (चौकी जुटमिल) में अप.क्र. 970/19 धारा 457,380 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

ग्रीन सिटी के सूने मकान से चोरी

न्याय साक्षी/रायगढ़। जेएसपीएल से मैनेजर के पद से रिटायर्ड हुये श्याम नारायण श्रीवास्तव उम्र 67 वर्ष द्वारा दिनांक 06.11.2019 को थाना चक्रधरनगर में इनके ग्रीन सिटी, बोईरदादर के सुने मकान से दिनांक 22.08.19 से 31.10.19 के बीच कोई अज्ञात चोर आलमारी में रखे कपड़े, लकड़ी के बाक्स में रखे चांदी का गिलास-कटोरी, चम्मच, चांदी का पायल एवं एक हाथ घड़ी जुमला किमती लगभग 30,000/- रूपये को चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराया है। रिपोर्टकर्ता ने बताया कि दिनांक 22.08.2019 को सपरिवार बैंगलोर अपने पुत्र के घर गये हुये थे, इसी बीच चोरी की घटना घटित हुई है। चोरी की रिपोर्ट पर अप.क्र. 420/19 धारा 457,380 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

तलवार से लोगों को डराता युवक गिरफ्तार

न्याय साक्षी/रायगढ़। कोतवाली पुलिस द्वारा आज दिनांक 07/11/2019 को सार्वजनिक स्थान शीतला मंदिर के सामने बावली कुआ मोहल्ला में सोनू ऊर्फ सुधीर सिदार पिता ईश्वर लाल सिदार उम्र 23 साल साकिन बावली कुंआ को तलवार से लोगों को डराते धमकाते हुये पकड़े। आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली में 25 आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की गई है।

स्थायी अनुज्ञप्ति वाहन चालन का परीक्षण 11 नवम्बर को

न्याय साक्षी/रायगढ़। संयुक्त कलेक्टर एवं जिला परिवहन अधिकारी सुमित अग्रवाल ने जनसामान्य को जानकारी देते हुए बताया कि 8 नवम्बर एवं 12 नवम्बर 2019 को शासकीय अवकाश होने के कारण जिला परिवहन कार्यालय रायगढ़ में स्थायी अनुज्ञप्ति वाहन चालन का परीक्षण 11 नवम्बर 2019 को होगा।

रोहिणीबाई सारथी की आग में जलने से मृत्यु

» पति शंखराज सारथी को 4 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत

न्याय साक्षी/रायगढ़। तहसील खरसिया के ग्राम तुरेकेला निवासी रोहिणीबाई सारथी की 14 जून 2019 को आग में जलने से मृत्यु हो गई। कलेक्टर रायगढ़ द्वारा एसडीएम खरसिया की अनुशंसा पर राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत मृतक के पति शंखराज सारथी को 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

नगर पालिका आम निर्वाचनः प्रभारी अधिकारी एवं सहायक प्रभारी अधिकारियों की बैठक 11 नवम्बर को

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार की अध्यक्षता में नगर पालिका आम निर्वाचन 2019 के सफल एवं सुचारू संचालन के लिए विभिन्न कार्यों हेतु नियुक्त प्रभारी अधिकारी एवं सहायक प्रभारी अधिकारियों की अत्यावश्यक बैठक 11 नवम्बर को दोपहर 1 बजे कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आहूत की गई है।

नगरीय निकाय आम निर्वाचनः 11 नवम्बर तक कर्मचारी डाटा बेस की जानकारी भेजें

न्याय साक्षी/रायगढ़। उप जिला निर्वाचन अधिकारी रायगढ़ ने सर्वविभाग प्रमुख को जानकारी देते हुए बताया कि नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2019-20 हेतु पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2 एवं 3 अधिकारी/कर्मचारियों की आवश्यकता है। रायगढ़ विकासखण्ड क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों का बायो डाटा संलग्न प्रपत्र में (हिन्दी इण्डिक फन्ट में) 11 नवम्बर 2019 तक अनिवार्य रूप से एमएस एक्सेल में तैयार कर हार्ड एवं सॉफ्ट कापी भेजना सुनिश्चित करें। जानकारी में संविदा कर्मचारियों को शामिल न करें एवं फोटो केवल हार्ड कॉपी में ही संलग् न कर भेजें।

जमानत पर रिहा हुए आरोपीगण गिरोह बनाकर कर रहे थे चोरी, पकड़े जाने पर दो चोरियों का खुलासा

» 6 आरोपियों से सोने-चांदी के जेवरात, 02 मोबाइल व 01 मोटरसाइकिल बरामद

» घटना में प्रयुक्त आरोपियों की 02 मोटरसाइकिल को लिया गया कब्जे में

न्याय साक्षी/रायगढ़। सारंगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बोइरडी सारंगढ़ के राम जानकी मंदिर के मूर्तियों से सोने चांदी के जेवरात चोरी जाने के मामले को पुलिस अधीक्षक महोदय संतोष कुमार सिंह द्वारा गंभीरता पूर्वक लिया गया व एसडीओपी सारंगढ़ को शीघ्र आरोपियों की पतासाजी कर शत प्रतिशत मशरूका की बरामदगी के निर्देश दिए।

एसडीओपी सारंगढ़ जितेन्द्र कुमार खूंटे द्वारा थाना प्रभारी सारंगढ़ निरीक्षक ए0के0 खान एवं चौकी प्रभारी कनकबीरा उप निरीक्षक आर0सी0 पैकरा को क्षेत्र में सूचनातंत्र सक्रिय कर माल मुल्जिम पतासाजी के लिये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया गया जिससे क्षेत्र की दो चोरियों का खुलासा हुआ।

जानकारी के अनुसार दिनांक 13.10.2019 की रात्रि ग्राम हसौद पुलिस चौकी कनकबीरा अंतर्गत अजय पटेल के निर्माणाधीन मकान में रखे 02 नग मोबाइल एवं एक बजाज सिटी 100 मोटरसाइकिल (कीमती

50,000 रूपये) को अज्ञात आरोपी चोरी कर ले गया था जिस पर चौकी कनकबीरा, थाना सारंगढ़ में अपराध क्रमांक 486/19 धारा 380 भादवि दर्ज किया गया था। वहीं थाना सारंगढ़ अन्तर्गत ग्राम बोईरडीह के राम जानकी मंदिर के भीतर मूर्ति से सोने-चांदी के जेवरात कीमती करीब रू. 25,000 को मंदिर का ताला तोड़कर अज्ञात आरोपी चोरी कर ले गए थे। मामले में अप.क्र. 520/19 धारा 457,380 भादवि दर्ज कर आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। थाना प्रभारी सारंगढ़ निरीक्षक ए0के0 खान द्वारा थाने के प्रधान आरक्षक भुनेश्वर पंडा, जयराम सिदार, मोतीलाल डनसेना एवं आरक्षक विरेंद्र भगत, पुरुषोत्तम राठौर, पुष्पेंद्र जाटवर को क्षेत्र में सूचनातंत्र मजबूत कर मुखबिरों से लगातार संपर्क का अज्ञात आरोपियों के संबंध में जानकारी जुटाने का निर्देश दिया गया। वही चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक आर0सी0 पैंकरा द्वारा अपने थाने के आरक्षक गणेश पैंकरा एवं किशोर सिदार को ग्राम हसौद से हुई बाइक एवं मोबाइल चोरी के आरोपियों की पतासाजी के लिए क्षेत्र में मुखबिर लगाकर सूचना संकलन के लिए तैनात किए थे। इसी दरमियान मुखबीर से डकैती के मामले में जमानत पर रिहा हुए प्रशांत भारद्वाज निवासी सिंघनपुर थाना कोसीर व उसके साथियों की गतिविधियां संदिग्ध होने की जानकारी सारंगढ़ पुलिस को मिली जिसके बाद प्रशांत भारद्वाज को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जिसने अपने साथी राजू यादव, लक्ष्मीनारायण चौहान, मनीष श्रीवास, दूधनाथ मिरी, मुकेश यादव के साथ ग्राम हसौद तथा बोईरडीह के राम जानकी मंदिर में चोरी करना बताया जिस पर सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किए और बताये कि जेल में रहने के दौरान इनकी दोस्ती हुई थी और जेल से छूटने के बाद फिर एकजुट होकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। आरोपियों के मेमोरेंडम के आधार पर सोने चांदी के आभूषण, 02 नग मोबाइल, एक बजाज सिटी 100 मोटरसाइकिल एवं आरोपियों से घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिल (बजाज पल्सर, हीरो पैशन प्रो) को जप्त किया गया है। आरोपियों को आज उपरोक्त अपराधों में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

चोरी में गिरफ्तार आरोपीगण-

(1) प्रशांत भारद्वाज उर्फ चिंकी पिता बिरेंद्र भारद्वाज उम्र 22 वर्ष साकिन सिंघनपुर थाना कोसीर (2) राजू यादव पिता स्वर्गीय उमित लाल यादव उम्र 25 साल निवासी सिंघनपुर (3) लक्ष्मीनारायण चौहान उर्फ गुड्डन पिता शिवलाल चौहान उम्र 30 साल निवासी ब्लॉक चौक बरमकेला (4) मनीष श्रीवास पिता दिनानाथ श्रीवास उम्र 35 वर्ष साकिन कोड़ापारा बरमकेला (5) दूधनाथ मिरी पिता पुषराम मिरी 25 साल निवासी बड़े पाडरमुड़ा थाना मालखरौदा जिला जांजगीर चांपा (6) मुकेश यादव 20 साल साकिन सिंघनपुर थाना कोसीर।

गुड टच-बैड टच की क्लास के बाद छात्रों का थाना भ्रमण

» टी.आई.पूंजीपथरा ने छात्रों को बताया थाने का कार्य

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन पर महिला विरूद्ध अपराध अनुसंधान इकाई रायगढ़ एवं पुलिस महिला रक्षा टीम द्वारा प्रतिदिन स्कूल, छात्रावासों तथा कालोनी, मोहल्ले में बच्चो व महिलाओं के बीच जाकर महिलाओं पर घटित अपराधों में कमी लाये जाने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है साथ ही बच्चे अपनी समस्या/शिकायत निर्भिक होकर पुलिस को बता सकें। पुलिस व बच्चों के मध्य बेहतर संवाद हो इसके लिये बच्चों को थाना भ्रमण कराया जा रहा है।

इसी क्रम में आज दिनांक 07/11/19 महिला सेल की महिला प्रधान आरक्षक मंजू मिश्रा, महिला आरक्षक रोज मेरी, इन्दू लता प्रायमरी स्कूल गेरवानी व मिडिल स्कूल गेरवानी एवं मिडिल स्कूल सामारूमा जागरूकता कार्यक्रम के लिए पहुंची थी।

प्रधान आरक्षक मंजू मिश्रा द्वारा छात्र-छात्राओं को पॉस्को एक्ट, सायबर अपराधों की जानकारी देकर गुड टच- बैड टच के बारे में बताया गया। बच्चों को हेल्प लाईन नम्बर मोबाइल नम्बर 1098, 1091, 112 एवम 100 नम्बर की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के बीच टी.आई. पूंजीपथरा अमित सिंह अपने स्टाफ के साथ सामारूमा मिडिल स्कूल पहुंचे और वहां के करीब 70 छात्र-छात्राओं एवं स्कूल स्टाफ को थाना पूंजीपथरा लेकर आये। बच्चों को पहले थाने का भ्रमण कराया गया। उन्हें थाने में की जानकारी वाले कार्यो के विषय में सहायक उपनिरीक्षक जी.पी. बंजारे द्वारा संक्षिप्त में बताया गया और बच्चों को चाकलेट व पेन वितरण कराया गया।

विद्यार्थियों के लिए रानी सागर प्राथमिक शाला में निःशुल्क योग शिविर

न्याय साक्षी/रायगढ़। सारंगढ़ विकास खण्ड के अनुसूचित जाति कन्या आश्रम प्राथमिक शाला रानी सागर में योग शिविर का आयोजन किया गया है। योग प्रशिक्षक ने विद्यार्थियों को अपने दिनचर्या में नियमित योग को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। योग करने से शरीर मन स्वस्थ रहता है। विद्यार्थियों को बताया गया कि योग से अस्थमा, मधुमेह, रक्त चाप, गठिया पाचन विकार और अन्य बीमारियों से मुक्ति मिलती है। साथ ही विभिन्न योग के प्रकार को बताया गया।

मोर बिजली एप से उपभोक्ता कर सकेंगे बिल का भुगतान

» बिजली से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते है सिर्फ एक क्लिक में

न्याय साक्षी/रायगढ़। छत्तीसगढ़ के समस्त बिजली उपभोक्ताओं के लिये बिल भुगतान तथा बिजली से जुड़ी अन्य जानकारियों को सुगम बनाने के लिये मोर बिजली मोबाइल एप लॉच किया गया है। जिसके माध्यम से उपभोक्ता सिर्फ एक क्लिक में बिजली बिल का भुगतान करने के साथ नवीनतम बिजली बिल, बिजली बंद की शिकायत आदि कार्य कर सकेंगे। इस एप को उपयोग करने के लिये गुगल प्ले स्टोर में जाकर मोर बिजली एप या Mor Bijlee App को सर्च कर एप को इंस्टाल करना होगा।

उपभोक्ता को अपने मोबाइल नंबर को अपने उपभोक्ता क्रमांक से लिंक करना होगा। यदि मोबाइल नंबर उपभोक्ता क्रमांक से लिंक नहीं है तो ओटीपी के माध्यम से नंबर लिंक किया जा सकता है और यदि मोबाइल नंबर उपभोक्ता क्रमांक से लिंक है तो ओटीपी के द्वारा इस एप में लागिन कर सकते है।

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के इस एप के माध्यम से उपभोक्ता को मासिक बिजली बिल देखने की सुविधा, बिजली बिल पेमेन्ट करने की सुविधा, सप्लाई संबंधी शिकायत दर्ज करने की सुविधा, पिछले 6 माह की विभिन्न जानकारियां जैसे खपत का पैटर्न, बिजली बिल भुगतान का विवरण तथा राज्य शासन द्वारा बिजली बिल हाफ योजना से प्राप्त छूट का विवरण देखने की सुविधा प्राप्त होगी। मासिक बिजली बिल के भुगतान के पश्चात मोबाइल में ही रसीद भी प्राप्त कर सकेंगे। इस एप में उपभोक्ता क्रमांक जोडने व हटाने का विकल्प होगा तथा एक यूजर अधिकतम पांच उपभोक्ता क्रमांक लिंक कर सकता है। एप के माध्यम से फीड बैक भी प्रदान किया जा सकेगा।

निःशुल्क आपरेशन शिविर में आठ मरीज लाभान्वित

न्याय साक्षी/रायगढ़। अघोर गुरु पीठ ट्रस्ट बनोरा के शाखा शिवरीनारायण आश्रम में निःशुल्क हाइड्रोशील आपरेशन शिविर का आयोजन तीन नवम्बर को आयोजित की गई जिसमें आठ मरीज लाभान्वित हुए। आपरेशन पूर्व चिन्हित मरीजों का डॉ.अरविंद द्वेवेदी द्वारा किया गया।

प्रति माह आयोजित होने वाली इस निःशुल्क शिविर में अनुभवी चिकित्सक डॉ. अरविंद द्विवेदी आठ मरीजों का हाइड्रोसील ऑपरेशन किया गया व दवाइयां भी आश्रम के तरफ से मरीजों को निःशुल्क वितरण किया गया।

ऑपरेशन पूर्व करीब 30 मरीजो ने पंजीयन कराया ऑपरेशन योग्य 8 मरीजो का सफल आपरेशन डॉक्टर द्वारा किया गया। तथा मरीजों के आवास भोजन का प्रबंधन भी आश्रम प्रबंधन की ओर से किया गया था। जिसमें खनखन, सर्वा कसडोल, सलोनी, जो जिला बलौदा बाजार और जांजगीर चांपा में पड़ता है वहां के मरीज आए थे।

नरवा, गरूवा, घुरवा एवं बाड़ी योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत कीदा में गौठान का हो रहा सुचारू संचालन

» गौठान की देखभाल के लिए समिति गठित

न्याय साक्षी/रायगढ़। छत्तीसगढ़ शासन की नरवा, गरूवा, घुरवा एवं बाड़ी योजनान्तर्गत धरमजयगढ़ विकासखण्ड के ग्राम पंचायत कीदा में गौठान का सुचारू संचालन किया जा रहा है। जनपद पंचायत धरमजयगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक दिन कीदा चारवाहा एवं जामपाली चरवाहा आनंद कुमार चौहान, बलभद्र राठिया तथा रामेश्वर सिदार द्वारा मवेशियों को गौठान स्थल में लाया जाता है और गौठान संचालन हेतु ग्राम गौठान समिति का भी गठन किया गया है।

इनमें अध्यक्ष जगलाल राठिया, कोषाध्यक्ष-आनंद राम राठिया, उपाध्यक्ष-मनमोहन राठिया, प्रतिनिधि मोहन राठिया, मंगल सिंह सिदार, रामेश्वर सिदार, चरवाहा बलभद्र राठिया, वार्ड पंच पतिराम राठिया, स्व-सहायता समूह की प्रतिनिधि फूलबाई सिदार, किसान मितान, जेठ सिंह राठिया, संजय भगत, सरपंच किर्ती राम राठिया एवं सचिव ललित कुमार साहू शामिल है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480